न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद ताहीर R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
103/दावा/2011	03.05.2011	06.11.2019

कुलवन्त सिंह आ0 दीवान सिंह जाति जट सिख निवासी देलून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

......**वादी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी जिला बून्दी (राज0)
2. राजस्थान सरकार द्वारा नायब तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी

...**प्रतिवादीगण**

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीः– श्री धीरेन्द्र सिंह चौधरी
अधिवक्ता प्रतिवादीः–

– : : निर्णय : : –

वाद अन्तर्गत धारा– 88,89 एवं 188 आर.टी.एक्ट

संक्षेप में वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किया है किः–

1. यह कि भूमि ख0 नम्बर नवीन 1707/1188 रकबा 6 बीघा जिसके पुराने नम्बर 1188/2 रकबा 6 बीघा वाके ग्राम देलून्दा पटवार क्षेत्र नोताडा तहसील व जिला बून्दी (राज0) में स्थित है। राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त आराजी सिवायचक दर्ज है।
2. यह कि उपरोक्त आराजी को वादी ने उसके पिता ने नो तोड फाड कर आबाद आज से 30 वर्षो पूर्व किया था जब से प्रार्थी वादी उक्त आराजी पर राज्य सरकार की जानकारी में काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।
3. यह कि प्रतिवादी सं0 2 द्वारा वादी को उक्त आराजी बाबत् समय–समय पर धारा 91 के नोटिस जारी किये गये थे और इस सन्दर्भ में पृथक–पृथक कार्यवाहिया अमल में लाई गई है लेकिन वादी भौतिक रूप से अखण्डित विगत 30 वर्षो से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है और समय–समय पर वादी राज्य सरकार के पक्ष में पेनल्टी राशि शास्ती राशि जमा करवाता चला आ रहा है। खसरा परिवर्तनशील व पी–14 में वादी जोता अंकित है।
4. यह कि वादी ने कई बार प्रतिवादीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मेरे नाम उक्त आराजी को आवंटन अथवा नियमन किया जावे लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया और वादी को बेदखल करने हेतु कार्यवाही की जाती रही है, जो प्रभाव शून्य होने के कारण समस्त कार्यवाहियॉ स्थगित रही।
5. यह कि वादी विगत 30 वर्षो से भी अधिक समय से उक्त आराजी पर बरोक टोक बिना किसी बाधा के राज्य सरकार की जानकारी में काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। इस प्रकार वादी कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी खातेदार आसामी बन चुका है, लेकिन वादी के नाम उक्त आराजी खाते अंकित नहीं की गयी।
6. यह कि प्रतिवादीगण वादी को उक्त आराजी पर बेदखल करने की धमकी अप्रेल,2011 में दी ऐसी स्थिति में वाद आवश्यक प्रकृति का हो गया है और यदि 2 माह का नोटिस देकर वाद प्रस्तुत किया जावेगा तो प्रतिवादी, वादी को बेदखल कर देगे ऐसी स्थिति में धारा 80(2) जा0दी0 के पृथक से प्रार्थना पत्र वास्तु अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।
7. वाद कारण अप्रेल,2011 में वादी के वादी के खाते अंकित नहीं करने तथा विवादित आराजी पर से बेदखल करने पर उत्पन्न हुआ और तब से प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी (राज0)

Scanned by CamScanner

यह कि वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह विवादित आराजी को अपने खाते अंकित कराने की घोषणा करवाये और प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित की जावे–

(अ) वाद पत्र की चरण सं0 1 में विवादित आराजी को वादी के नाम खाते में अंकित किये जाने की घोषणा की जावे तथा अंकित इन्द्राज को विलोपित किया जावे और वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा खातेदारी में अंकित किया जावे।

(ब) प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह विवादित आराजी पर से वादी को बेदखल नही करे काश्त कार्य में बाधा नही पहुंचावे।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की और से कोई जवाब दावा पेश नही करने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

साक्ष्य में नकल जमाबन्दी खाता सं0 1 ग्राम देलून्दा संवत् 2063–66, खसरा परिवर्तित निर्धारण संवत् 2067, साक्ष्य शपथ पत्र में कुलवन्द सिंह आ0 दीवान सिंह ग्राम देलून्दा, गुरनाम सिंह आ0 फोजा सिंह निवासी डगलावदा, मेजर सिंह आ0 भजन सिंह निवासी बक्षपुरा, बलबीर सिंह0 आ0 बच्चन सिंह निवासी बक्षपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी का शपथपत्र पेश किया गया।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद वर्णित सिवायचक कृषि भूमि को कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार देने हेतु निवेदन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। वाद वर्णित सिवायचक कृषि भूमि के कब्जादारी लगातार अतिक्रमी रहा हो इस संबंध में वादी द्वारा ठोस साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किये गये है। वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद वादी ठोस साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 06.11.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी(राज0)

Scanned by CamScanner